Journal of Research in Education

(A Peer Reviewed and Refereed Bi-annual Journal)

(SJIF Impact Factor 5.196)

St. Xavier's College of Education

(Autonomous)

Digha Ghat, Patna, Bihar - 800011

VOL.12, No.2 | DECEMBER, 2024

SXCE (AUTONOMOUS), PATNA

चन्द्रेश कुमार,
शोधार्थी, शिक्षा विभाग
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय,
पटना
Email: ck632013@gmail.com

डॉ. वंदना कुमारी
प्राचार्या,
हरी नारायण सिंह इंस्टिट्यूट
ऑफ टीचर्स एजुकेशन
(एच एन एस आई टी टी ई)
Email: bkhnsite@gmail.com

7

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (२०२०) के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE)

सार

मानव संसाधन की उन्नत्ति एवं विकास राष्ट्र की समृधि का पैमाना है। व्यक्ति की विकास की बुनियाद बचपन में ही रखी जाती है जो निरंतर देखभाल, पोषण और शिक्षा की बदौलत प्रस्फुटित होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा उसी मानव संसाधन के विकास की संकल्पना है जिसे लेकर परिवार, समाज की हर इकाई एवं राज्य न सिर्फ प्रतिबद्ध है बल्कि उसके निरंतर विकास के लिए प्रयत्नशील है। वर्तमान समय में सामजिक और आर्थिक रुप से वंचित करोड़ो बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२० में शिक्षा व्यवस्था के नए ढाँचे ५. ३. ३. ४ में ३ वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया है जो आगे चलकर बच्चों के बेहतर विकास और बेहतर उपलब्धियाँ हासिल कर सकने लायक एक अवसर उपलब्ध करा सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत

ईसीसीई के माध्यम से सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली से जोड़ने एवं विकास का अवसर प्रदान करके एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए गुणवतापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को वर्ष २०३० तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

***मूल शब्दः** NEP 2020, ECCE, देखभाल, शिक्षा, बाल्यावस्था*

भारतीय सभ्यता और बच्चों का स्थान

प्राचीन काल से ही भारत में बच्चों का स्थान अद्वितीय रहा है। प्रत्येक धर्म, जाति और परंपरा में बच्चों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाये जाने की संस्कृति है। बालकों के ऐसे स्वरूप को समाज में स्थापित करने का यह दृष्टिकोण परिवार, समाज और देश को एक नयी उँचाई पर ले जाने का है जो समय-समय पर होनाहार बालकों के रूप में परिलक्षित हुआ है। बच्चों का पालन-पोषण एवं देखभाल प्रत्येक माता-पिता की प्राथमिक कार्यसूची में शामिल होता है क्योंकि यह वह अवधि होती है जिसमें बच्चों को विशेष देख रेख की आवश्यकता होती है। देखभाल की यह प्रक्रिया बालकों को वातावरण रूपी संसार के साथ जोड़ने की भी होती है जहाँ वह भिन्न-भिन्न लोगों एवं परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित करने का प्रयत्न करता है। समायोजन की इस प्रक्रिया में बालक विभिन्न अनुभवों की अनुभूति करता है। वास्तव में इस अनुभव का महसूस होना ही सीखना है जिसमें बालकों में होने वाली यह क्रियाशीलता बहुत तेजी के साथ संपादित होती है। बालकों की इस क्रियाशीलता को बल तब मिलता है जब परिवार के सदस्य उसकी अनुभूति में शमिल होते हैं।

सीखने की यह प्रक्रिया जीवनपर्यन्त चलती है। सीखने की गति, तत्परता, रूचि आदि की नींव व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था की अवधि में ही पड़ जाती है। विकास रूपी नींव की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि बालक के जन्म से लेकर ६-८ वर्ष

तक की अवस्था किन-किन चरणों से होकर गुजरी है। बालक की देखभाल पालन-पोषण, शिक्षा दीक्षा आदि वे कारक है जो उसके विकास का पैमाना निर्धारित होता है। बालक के जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण अवधि-जिसमें मस्तिष्क का लगभग 80%-90% हिस्सा विकसित होता है, उस विकास के लिए कितना दृढ़ संकल्पित था। बालक के मस्तिष्क का अधिकत्तम विकास उस वातावरण पर निर्भर करता है, जिसके अंतर्गत उसकी क्रियाशीलता एवमं गतिविधियों शामिल है जो भिन्न-भिन्न तरह के आयोजनों के द्वारा संपन्न होती है। प्रारंभिक शिक्षा के तहत ये भिन्न भिन्न आयोजन उन तमाम गतिविधियों, क्रियाकलापों, खेलकूद आदि के माध्यम से संपन्न किये जाते हैं जो बालक के सर्वांण्गीण विकास के प्रतिफल के रूप में नजर आते हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप एक पूर्व निर्धारित वैज्ञानिक पद्धति की कार्य योजना है जिसे अमल में लाकर वांछित उद्धेश्यों की प्राप्ति की जाती है। यह एक तर्क संगत विधि है जिसे एक गुणवत्तापूर्ण पाठयक्रम, दक्ष एवं अनुभवी शिक्षक और उपयुक्त वातावरण के अंतर्गत सम्पन्न कराया जाना चाहिये। प्रारंभिक वाल्यावस्था देखभाल एक अनौपाचारिक वातावरण में परिवार के बीच ही संपन्न कराये जाने की परंपरा आदि काल से ही चली आ रही है। लेकिन महात्मा गॉधी के शैक्षिक दर्शन और मारियो मौटेसरी की पहल ने प्री स्कूल शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़कर देखे जाने की शुरूआत की। कालांतर में आजादी के बाद कई आयोगों की रिर्पोटों एवं संस्तुतियों के पश्चात प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था का अंग बना। 1974 के बालकों की राष्ट्रीय नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के साथ देखभाल को भी वर्णित किया गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मानव संसाधान के विकास एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु इसे एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया गया।।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई)

प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि गर्भधारण से लेकर आठ वर्ष की उम्र तक होती है। यह आठ साल तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये अवसर और अनुभव मुहैया कराने के दर्शन पर

आधारित है। ईसीसीई प्रत्येक बालक के अधिकार के साथ-साथ राष्ट्र को उपलब्ध होने वाली मानव संसाधन रूपी पूंजी है जो एक दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा निर्धारित करती है। बच्चों के आठ वर्ष तक की अवधि तीव्रतर शारीरिक विकास मानसिक क्षमता की परिपक्वता, भाषायी विकास, संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ संवेदनशील होता है। अगर शुरूआती वर्षों में बच्चों को उनके विकास के अनुकूल प्रेरक, समृद्ध और भौतिक और मनोसामाजिक वातावरण नहीं मिलता है तो बच्चों के मस्तिष्क की क्षमताओं के सम्पूर्ण विकास की संभावनाएं काफी कम हो जाती है जिसकी भरपाई बाद में नहीं की जा सकती है। यह अवस्था विकास के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों एवं निजी आदतों के विकास की भी नींव है जो बच्चों के भावी जीवन का स्थायी आधार होते है। उम्र के इस दौर में प्रत्येक बच्चे के लिए एक उपयुक्त माहौल मुहैया कराना एक निवेश के साथ-साथ बाल अधिकारों की रक्षाा एवं कुशल व योग्य मानव संसाधन तैयार करने की प्राथमिकता में शुमार किये जाने की आवश्यकता है।

भारतीय संदर्भ

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण विकासात्मक अवस्था है। अनेक शोध रिपोर्ट के परिणामों से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की अवधि तीव्रतर विकास के लिए उत्तरदायी है। इस अवधि का उपयोग बुनियादी तौर पर बच्चों के विकास से संबंधित हर उस संभावनाओं को तलाशने में होना चाहिये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सर्वांगीण विकास से संबंधित हो। लेकिन बावजूद इस महत्वपूर्ण तथ्य के भारत में अभी भी शत प्रतिशत बच्चों की पहुँच ईसीसीई कार्यक्रम तक नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा उन कार्य योजनओं को रेखांकित करती है जो सीधे तौर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंध है। ईसीसीई कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर आधारित एक मानक दस्तावेज है जो वर्तमान आवश्कतओं को लक्षित करके तैयार किया गया है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक विविधता, आधारभूत संरचना की कमी, समान पाठ्यक्रम का न होना, दक्ष व अनुभवी शिक्षकों

की कमी ऐसी कुछ समस्याएँ है जो ईसीसीई कार्यक्रम की राह में बाधक बने हुए है।

भारत के परिप्रेश्य में विद्यालय पूर्व शिक्षा और देखभाल से आशय छोटे बच्चों की उचित देखभाल एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर और अनुभव उपलब्ध कराये जाने से संबंधित है। सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास के साथ-साथ विद्यालय के लिए तैयाारी भी शामिल है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यकताएं उनके मनोवैज्ञानिक सामाजिक और शैक्षणिक विकास के साथ जुड़ी हुई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल की पाठयचर्चा के ढांचे को सर्वागीण परिप्रेक्ष्य पर आधारित होने की जरूरत है जिसमें विकास के विभिन्न क्षेत्रों, प्रत्येक स्तर पर बच्चों के लक्षणों और अनुभव के अर्थो में उनकी अधिगम की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं ईसीसीई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल (ईसीसीई) को लेकर व्यापक तौर पर एक समग्र दृष्टिकोण को लक्षित करके प्रावधान किया गया है। आने वाले भविष्य एवं चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा को एक लचीली परन्तु ठोस एवं मूर्त्त आकार देने का प्रयास किया गया है जिसमें बालकों के सर्वांगीण विकास को प्रमुख महत्व देते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। एक मजबूत बुनियाद के साथ शिक्षा तंत्र को इस प्रकार विकसति करने का उद्धेश्य है जिसमें बच्चों का विकास बेहतर ढंग से हो सके, वे बेहतर उपलब्धियाँ हासिल कर खुशहाल जीवन का निर्वहन कर सकें।

प्रत्येक बालक अपने आप में अद्वितीय और विशिष्ट क्षमताओं का वाहक होता है। बालकों की 6-8 वर्ष तक की अवस्था उनके मानसिक क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु संवेदनशील होता है। इस अवस्था के बच्चों के मस्तिष्क के विकास हेतु एक सुनियोजित एवं गुणवतापूर्ण क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े करोड़ों बच्चों को

गुणवतापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ बदलावों के साथ 3 वर्ष के बच्चों को भी प्रारंभिक बाल्यवास्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) में शामिल किया गया है ताकि देश के सभी बच्चों की पहुँच ईसीसीई तक हो सके। सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली से जोड़कर वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके।

ईसीसीई पाठयक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ईसीसीई पाठयक्रम को इस तरह से बनाया गया है जो बहुस्तरीय खेल आधारित, गतिविधि आधारित, बहुआयामी, लचीली और खोज आधारित शिक्षा पर केन्द्रित हो। इन गतिविधियों के अलावे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, शिष्टाचार, नैतिकता, स्वच्छता, सामूहिक क्रियाकलाप, आपसी सहयोग आदि जैसे मानवी गुणों को विकसति करने के लिए भी ईसीसीई के अंतर्गत प्रावधान किये गये है। ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों के शारीरिक भौतिक विकास संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। यही नहीं ईसीसीई में बाल्यावस्था शिक्षा से जुड़ी उन तमाम परंपराओं पर आधारित कला, कहानियां, कविता, ,खेल, गीत आदि को भी शामिल किया, जाएगा, जो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान विशेष के क्षेत्रों में प्रचलित है। शिक्षा के इस मॉडल में माता-पिता के साथ स्थानीय परिवेश को भी शामिल किया जाएगा ताकि इनकी भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में हो।

शिक्षा नीति में वर्णित ईसीसीई के प्रावधानों को एनसीईआरटी के माध्यम से एक उत्कृष्ट पाठयक्रम और शैक्षिक ढाँचा (एनसीपीएफईसीसीई) विकसित किया जाएगा। इस पाठयूक्रम को 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए सबफ्रेमवर्क और 3-8 वर्ष के लिए अन्य सबफ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। शिक्षा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार ईसीसीई में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को भी शामिल

किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसीई संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना वृहद लक्ष्य होगा। इसके साथ पिछड़े जिलों खासकर उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता सुनिश्चित करनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े है। ईसीसीई संस्थानों को सशक्त और विस्तृत बनाकर ईसीसीई प्रणाली को लागू करने की योजना है जिसमें ईसीसीई पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति कर इसे व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

ईसीसीई पाठयक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठयक्रम की आयोजन और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्य बल (टास्क फोर्स) का गठन किया जाएगा।

बुनियादी शिक्षा एवं पोषण

ईसीसीई पाठयक्रम में एकरूपता का अभाव, ईसीसीई की सभी तक पहुँच न हो पाना, प्रशिक्षित शिक्षकों/कर्मचारियों की कमी आदि कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएँ है जो प्रत्यक्ष तौर सीखने को प्रभावित कर रहे हैं। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सर्वेक्षणों व शोध निष्कर्ष से संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंको के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता

नहीं है। इस समस्या पर गौर करते हुए शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करना है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की योजना है। प्रारंभिक पाठयचर्चा के दौरान एक मजबूत सतत रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा।

बच्चों के बेहतर ढंग से सीखने के लिए उन्हें स्वस्थ होना एक बुनियादी तत्व है। कुपोषित या अस्वस्थता की स्थिति में बच्चे सीखने में असमर्थ हो जाते है। राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर विशेष ध्यान देने की वकालत की गई है। इसके लिए पौष्टिक भोजन, अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकत्ताओं, काउंसलर और स्कूली शिक्षा प्रणाली को समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा।

ईसीसीई की वर्तमान में स्थिति

प्रारंभिक बाल्यावास्था शिक्षा के अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों में बहुलता तो दिखती है जिसमें सरकारी, गैर सरकारी और अन्य निजी संस्थाएं विविध प्रकार की सेवाएं दे रही है। हांलाकि इन कार्यक्रमों के दायरे सीमित है और दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भिन्नता है। ये कार्यक्रम महज खानापूर्ति कर रहे हैं और निम्न कोटि के होने के कारण इसका लाभ समुचित रूप से नहीं मिल पा रहा है। गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों को ईसीसीई का लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। विद्यालय पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों में भी बहुत सारी विसंगतियां है जो उबाउ, नीरस और थोपी हुई प्रतीत होती है। खेल आधारित गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं दिखता है। बच्चों के विकास और सीखने के तमाम अवसरों से वंचित ये बच्चे शिक्षा के मुख्यधारा से नहीं

जुड़ पा रहे है। बच्चों को जबर्दस्ती पढ़ने व लिखने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजरना पड़ता है। गृहकार्य और परीक्षा का एक अलग ही मानसिक पीड़ा है जो उन्हें खुलकर ईसीसीई के प्रावधानों की सहजता की अनुभूति नहीं लेने देता। औपचारिक शिक्षा देने का एक अनावश्यक दबाव बालमन के मस्तिष्क पर एक कुठराघात है जो शिक्षा के वांछित उद्देश्य की प्राप्ति में एक बाधा उत्पन्न करता है।

निष्कर्षः

यह ज्ञात है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की गुणवत्ता का असर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पड़ता है। यह अपने आप में इस मांग का पर्याप्त कारण बनता है कि सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षण और देखभाल की आवश्यकता है। संयुक्त रूप से जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों की है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से जुड़ी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। सभी बच्चों को एक समान प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के प्रावधानों का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए केवल आवश्यक संसाधन जुटाना ही आवश्यक नहीं होगा। संसाधन के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को बनाकर इसे लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी हो जिससे गुणवत्ता के पाँच बुनियादी आयामों को सुनिश्चित किया जाये- विकासमूलक दृष्टिकोण से उपयुक्त पाठयचर्चा, प्रशिक्षित और उपयुक्त वेतन प्राप्त शिक्षक, शिक्षक-विद्यार्थी का उपयुक्त अनुपात, ईसीसीई से प्रावधानों के अनुरूप साधन-संसाधन तथा निरीक्षण प्रविधि। इन सब प्रविधियों एवं उपागम के फलस्वरूप निश्चय ही भारतीय शिक्षण एक मील का पत्थर साबित होगी

संदर्भः

- *Ministry of Human Resources Development, Government of India (1986), National Policy on Education, New Delhi*
- *Young, M.E. (1986), Early child Development investing in the future, The world Bank*
- *National Education Policy, 2020, ECCE : Foundation of learning, NCERT, Delhi*

- *Pratham (2005-14), Annual Status Education Report, New Delhi*
- *CECED (2013) Indian Early Childhood Education impact study Ambedkar University, New Delhi*
- *National Early Childhood care and Education curriculum Framework, India*
- *NCF - 2005, New Delhi, NCERT (2005)*